न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

डॉ. अंजलि राजौरिया (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
07/2020	2020/00056	31.12.2020	14.06.2024

1. श्री सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:— प्रार्थी

—: बनाम :—

1. श्री कारूलाल पुत्र हजारी जी भील निवासी जलोदिया केलुखेड़ा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़
2. श्रीमती मांगीबाई पत्नि कारूलाल भील निवासी जलोदिया केलुखेड़ा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़

:— अप्रार्थी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत विरूद्ध आवंटन मिशल संख्या 49/2013 दिनांक 30.01.2013 के संबंध में

उपस्थिति :—
1. श्री पैराकार सरकार
2. एक तरफा विरूद्ध अप्रार्थी/विपक्षी

—: आदेश :— दिनांक :—14.06.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार छोटीसादड़ी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम जलोदिया केलुखेड़ा की आराजी संख्या 1762 रकबा में से 1.27 हैक्टर भूमि प्रशासन गांवों के संग अभियान—2013 के दौरान आवंटन सलाहकार समिति छोटीसादड़ी द्वारा जरिये आवंटन मिशल संख्या 49/2013 के द्वारा जरिये आदेश दिनांक 30.01.2013 को आवंटी/विपक्षीगण को आवंटित की जाकर जरिये रूक्का पट्टा दिनांक 08.02.2013 के द्वारा आवंटी/विपक्षीगण को कब्जा सिपुर्द करते हुए उक्त भूमि बतौर गैर—खातेदारी आवंटी/विपक्षीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई थी।

किन्तु आवंटी/विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तो के नियमानुसार 03 वर्ष की अन्तराल अवधी में मौके पर कोई काश्त नहीं की गई तथा मौके पर अन्य की काश्त स्थापित होने से आवंटी/विपक्षीगण को किया गया आवंटन नियम 14(4) के तहत् निरस्त योग्य है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर आवंटी/विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट कोई उपस्थित नहीं हुआ जिससे उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अन्तिम प्रार्थी पैरोकार एक तरफा पूर्ण की गई।

दौराने बहस प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये गये कि आवंटी/विपक्षीगण को किया गया आवंटन असफल रहा है आवंटी/विपक्षीगण के द्वारा आवंटीत भूमि पर नियमानुसार 03 वर्षो में अपनी कब्जा काश्त को

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

स्थापित नहीं करते हुए मौके पर अन्य का कब्जा स्थापित होने से आगामी विवादक स्थितियों के मद्देनजर आवंटी/विपक्षीगण को किया गया आवंटन स्वतः निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजहीत में स्वीकार किया जाकर आवंटी/विपक्षीगण का आवंटन निरस्त फरमाते हुए गैर–खातेदारी विलोपित करने का आदेश प्रदान करावें।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया जिसमें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेमों दिनांक 26.10.2020, आवंटन मिशल संख्या 50/2013 आदेश दिनांक 30.01.2013 तथा रूक्का पट्टा दिनांक 08.02.2013 एवं नकल जमाबंदी संवत 2075–2078 के साथ साथ प्रकरण पर प्रचलित विधियों के साथ गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि राजस्व ग्राम जलोदिया केलुखेड़ा की आराजी संख्या 1762 रकबा 1.27 हैक्टर भूमि प्रशासन गांवों के संग अभियान–2013 के दौरान आवंटन सलाहकार समिति छोटीसादड़ी द्वारा जरिये आवंटन मिशल संख्या 50/2013 के द्वारा जरिये आदेश दिनांक 30.01.2013 को आवंटी/विपक्षीगण को आवंटित की जाकर जरिये रूक्का पट्टा दिनांक 08.02.2013 के द्वारा आवंटी/विपक्षीगण को कब्जा सिपुर्द करते हुए उक्त भूमि बतौर गैर–खातेदारी आवंटी/विपक्षीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है। किन्तु रिपोर्ट पटवार हल्का एवं पर्चा मौका दिनांक 28.09.2022 एवं 09.10.2020 के अनुसार आवंटीत भूमि पर आवंटी/विपक्षीगण की कब्जा काश्त नहीं होकर किसी अन्य का कब्जा काश्त होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) की कार्यवाही स्वीकृत किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजहीत में स्वीकार किया जाता है तथा विवादित आवंटन मिशल नं. 49/2013 के द्वारा आवंटी/विपक्षीगण को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार छोटीसादड़ी को निर्देशित किया जाता है कि आवंटी/विपक्षीगण आवंटित राजकीय बिलानाम आराजी संख्या 1762/2349 रकबा 1.27 हैक्टर भूमि को राजसात किया जाकर आवंटी/विपक्षीगण की गैर–खातेदारी विलोपित करते हुए पुनः बिलानाम सरकार दर्ज करने हेतु पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

(डॉ. अंजलि राजौरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)